

**राजस्थान सरकार**  
**महिला एवं बाल विकास विभाग**  
**निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं**

क्रमांक-एफ.15(6)(13)विधि/ आईसीडीएस/2013/

जयपुर, दिनांक:

प्रभारी अधिकारी (वाद) एवं  
समस्त उपनिदेशक,मबावि/  
समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी

विषय:- दिनांक 08.12.2018 को आयोजित लोक अदालत में उपस्थित होने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत नोडल अधिकारी एवं विशिष्ट शासन सचिव, विधि का पत्र दिनांक 03.10.2018 की प्रति संलग्न कर लेख है कि दिनांक 08.12.2018 को लोक अदालत आयोजित की जा रही है। यदि आपके कार्यालय से संबंधित प्रकरण निस्तारण हेतु लोक अदालत में रखा गया है तो संबंधित प्रकरण की पत्रावली मय पूर्ण दस्तावेज सहित आज ही निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं से सम्पर्क कर तथा लोक अदालत में उपस्थित रहकर आवश्यक सहयोग करे। उक्त निर्देशों को सर्वोच्च प्राथमिकता देवे,।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

*sd*  
अति. निदेशक  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक-एफ.15(6)(13)विधि/ आईसीडीएस/2013/192231-257 जयपुर, दिनांक:

31-10-18

प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं।
4. नोडल अधिकारी एवं उप निदेशक (प्रशासन) मुख्यालय को भेजकर लेख है कि आप नियत दिनांक को साथ रहकर आवश्यक सहयोग करे।
5. नोडल अधिकारी एवं उप निदेशक जोधपुर को भेजकर लेख है कि आप माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में नियत दिनांक को साथ रहकर सूचीबद्ध प्रकरणों के संबंध में संबंधित अधिवक्ता व प्रभारी अधिकारी से सम्पर्क कर आवश्यक आगामी कार्यवाही करावे।
6. एसीपी कम्प्यूटर सेल को भेजकर लेख है कि पत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।
7. रक्षित पत्रावली।

*Paul*  
अति. निदेशक  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार  
विधि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प.8(1) विधि-2/विरसं(115)/2017/953

दिनांक : 03/10/18

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव,  
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,

विषय:- दिनांक 08.12.2018 को आयोजित होने वाली पंचम राष्ट्रीय लोक अदालत के बाबत।  
सन्दर्भ:-प्राधिकरण का पत्र क्रमांक F-4(158)/रालसा/डीएसएडीआर/एनएलए-V  
/2018/27085-27102 दिनांक 19.09.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राज्य में न्यायालयों में लम्बित मामलों एवं प्री-लिटिगेशन के मामलों के लिए दिनांक 08 दिसम्बर, 2018 को पंचम राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जायेगी।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अपने-अपने विभागों के न्यायालय में लम्बित मामलों के संबंध में व ऐसे मामलों के संबंध में जिनका निस्तारण प्री-लिटिगेशन के माध्यम से हो सकता है, के संबंध में प्रभावी कार्य योजना बनाये। कार्य योजना के तहत राजीनामा योग्य प्रकरणों को चिन्हित करें, उनके संबंध में संबंधित पक्षकारों के साथ लोक अदालत से पूर्व बैठक कर राजीनामे के बिन्दु तय करें तथा चिन्हित प्रकरणों की संख्या के अनुरूप राज्य के समस्त न्यायालयों में ऐसे सक्षम/अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करें, जो प्रकरणों में राजीनामा करने में सक्षम हो। राजीनामा योग्य चिन्हित प्रकरणों की सूची यथाशीघ्र न्यायालयों में प्रस्तुत कर न्यायालय से अनुरोध करें कि चिन्हित प्रकरणों में पक्षकारों को लोक अदालत के लिए नोटिस जारी करें। नियुक्त अधिकारी को पाबंद करें कि वे आवश्यक रूप से लोक अदालत के समक्ष उपस्थित रह कर लोक अदालत की कार्यवाही में सहयोग करें ताकि राजीनामा योग्य/लघु प्रकरणों के मुकदमों का निस्तारण त्वरित गति से लोक अदालत के माध्यम से किया जा सके। जिससे राज्य सरकार के विरुद्ध लम्बित विवाद सदैव के लिए समाप्त हों एवं समय, श्रम एवं धन की बचत होने के साथ-साथ न्यायालयों में लम्बित विवादों का निस्तारण हो सकें।

यह भी अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को अविलम्ब अवगत कराने का श्रम करें। साथ ही चिन्हित प्रकरणों की सूची अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को भी प्रेषित कराने का श्रम करें।

- संलग्न :1. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण  
का पत्र दिनांक 19.09.2018 की प्रति।  
2. मुख्य सचिव द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 28.09.2018।

भवदीय

(संजय कुमार)

विशिष्ट शासन सचिव, विधि  
(वि.र.सं)

405  
404  
23/11/18



वर्ष - 2018  
पंचम राष्ट्रीय लोक अदालत

## राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 2385877, 2227602 FAX)

(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: [rslsajp@gmail.com](mailto:rslsajp@gmail.com), [ri-slsa@nic.in](mailto:ri-slsa@nic.in), website: [www.rlsa.gov.in](http://www.rlsa.gov.in))

क्रमांक F4(158)/रालसा/डीएसएडीआर/एनएलए-V/2018/27085-27102 दिनांक: 19/9/18  
प्रेषिति-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
7. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. विशिष्ट शासन सचिव, (गृह) एवं निदेशक, अभियोजन, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वि.र.सं.), एवं नोडल ऑफीसर, राष्ट्रीय लोक अदालत, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
13. अध्यक्ष, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर।
14. निदेशक, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
15. अध्यक्ष डिस्कॉम, जयपुर।
16. जनरल मैनेजर, बी.एस.एन.एल।
17. क्षेत्रीय प्रबंधक, समस्त राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंक, राजस्थान।
18. क्षेत्रीय प्रबंधक, समस्त राष्ट्रीयकृत एवं निजी बीमा कम्पनी, राजस्थान।

विषय- दिनांक 08.12.2018 को आयोजित होने वाली पंचम राष्ट्रीय लोक अदालत के बाबत  
प्रसंग- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का पत्रांक F.No.L/34/2017/NALSA दिनांक 08.01.2018  
महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रासंगिक पत्र द्वारा दिनांक 08.12.2018 को प्रदेश के सभी न्यायालयों (राजस्व न्यायालयों को छोड़कर) में लम्बित एवं प्री लिटिगेशन मामलों के लिए पंचम राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने के निर्देश दिये हैं। प्री-लिटिगेशन में धारा 138, परक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, पानी व बिजली के बिल (अशमनीय के अलावा) एवं अन्य (दाण्डिक शमनीय, पारिवारिक एवं अन्य सिविल विवाद) और लम्बित प्रकरणों में शमनीय दाण्डिक अपराध, अंतर्गत धारा 138, परक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी

*Help The Needy - Timely Help May Create History*



## राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 2385877, 2227602 FAX)

(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: [rsjsaip@gmail.com](mailto:rsjsaip@gmail.com), [ri-sjsa@nic.in](mailto:ri-sjsa@nic.in), website: [www.rjsa.gov.in](http://www.rjsa.gov.in))

मामले, एम.ए.सी.टी. मामले, श्रम-विवाद, बिजली व पानी के बिल (अशमनीय के अलावा), वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, मजदूरी, भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले (केवल जिला एवं उच्च न्यायालय में लम्बित), अन्य सिविल मामले (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एवं विनिर्दिष्ट पालना दावे) आदि विषयों पर आयोजित की जावेगी।

माननीय न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशानुसार अनुरोध है कि आप सभी विभागीय अधिकारियों को यह निर्देशित करें कि वे -

1. लोक अदालत में निस्तारित होने योग्य सभी उपयुक्त प्रकरणों को चिन्हित करवाकर प्रकरणों की सूची संबंधित न्यायालय में, जहाँ विवाद लम्बित है, प्रस्तुत करें एवं न्यायालय से अनुरोध करें कि उपयुक्त प्रकरणों में पक्षकारों को नोटिस जारी कर इन्हें लोक अदालत को रैफर करें।
2. एक सुनियोजित कार्य योजना बनाकर पूरी तैयारी के साथ लोक अदालत की कार्यवाही में भाग लें तथा अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करावें।

निर्देशानुसार यह भी अनुरोध है कि इस पत्र के सम्बन्ध में की गई कार्यवाहियों के प्रतिवेदन एवं जारी किये गये आदेशों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अग्रिम निर्देशार्थ रखा जा सके।

सादर,

भवदीय

(एस.के.जैन)  
सदस्य सचिव  
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)

क्रमांक F4(158)/रालसा/डीएसएडीआर/एनएलए-V/2018/27103-27128 दिनांक: 19/11/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है-

1. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
2. सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर/जयपुर।

(दीपेन्द्र माथुर)  
उप सचिव  
(एक्शन प्लान एण्ड ए.डी.आर.)

Help The Needy - Timely Help May Create History

राजस्थान सरकार  
विधि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प.8(1) विधि-2/विरसं (115)/2017/

जयपुर दिनांक : 29/09/18

:: परिपत्र ::

न्यायालयों में बढ़ते मुकदमों की संख्या को नियंत्रित व कम करने के क्रम में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान है जिसकी सफलता में संबंधित सरकारी विभागों का सहयोग एवं योगदान आवश्यक है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। पंचम राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 08.12.2018 को आयोजित की जायेगी।


राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन में धारा 138, परक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, पानी व बिजली के बिल (अशमनीय के अलावा) एवं अन्य (दाण्डिक शमनीय, पारिवारिक एवं अन्य सिविल विवाद) और लम्बित प्रकरणों में शमनीय दाण्डिक अपराध, अंतर्गत धारा 138, परक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी मामले, एम.ए.सी.टी. मामले, श्रम-विवाद, बिजली व पानी के बिल (अशमनीय के अलावा), वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, मजदूरी, भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले (केवल जिला एवं उच्च न्यायालय में लम्बित), अन्य सिविल मामले (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एवं विनिर्दिष्ट पालना दावे) आदि विषयों पर आयोजित की जावेगी।

सभी संबंधित विभाग लोक अदालत आयोजित करने हेतु राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र दिनांक 19.09.2018 के दिशा निर्देशों की पालना करेंगे।

राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए सभी संबंधित अधिकारी उपर्युक्त निर्धारित समय के अनुसार अपने-अपने विभागों से संबंधित प्रकरणों की कार्य योजना तैयार करें और अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण लोक अदालत से कराने का हर संभव प्रयास करेंगे।


अतः लोक अदालत/मीडियेशन कार्यवाही में विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय व सहयोग सुनिश्चित करने, उनकी कठिनाईयों का निवारण कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव एवं प्रगति रिपोर्ट यथा समय प्रेषित करने के लिए विशिष्ट शासन सचिव, विधि (विर.सं.) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

संलग्न : राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर  
द्वारा जारी पत्र क्रमांक 27085-27102  
दिनांक 19.09.2018 की प्रति।

  
(डी.बी. गुप्ता)  
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान।

  
(डी.बी. गुप्ता)  
मुख्य सचिव